विधायक निधि

दिशा निर्देश 2018

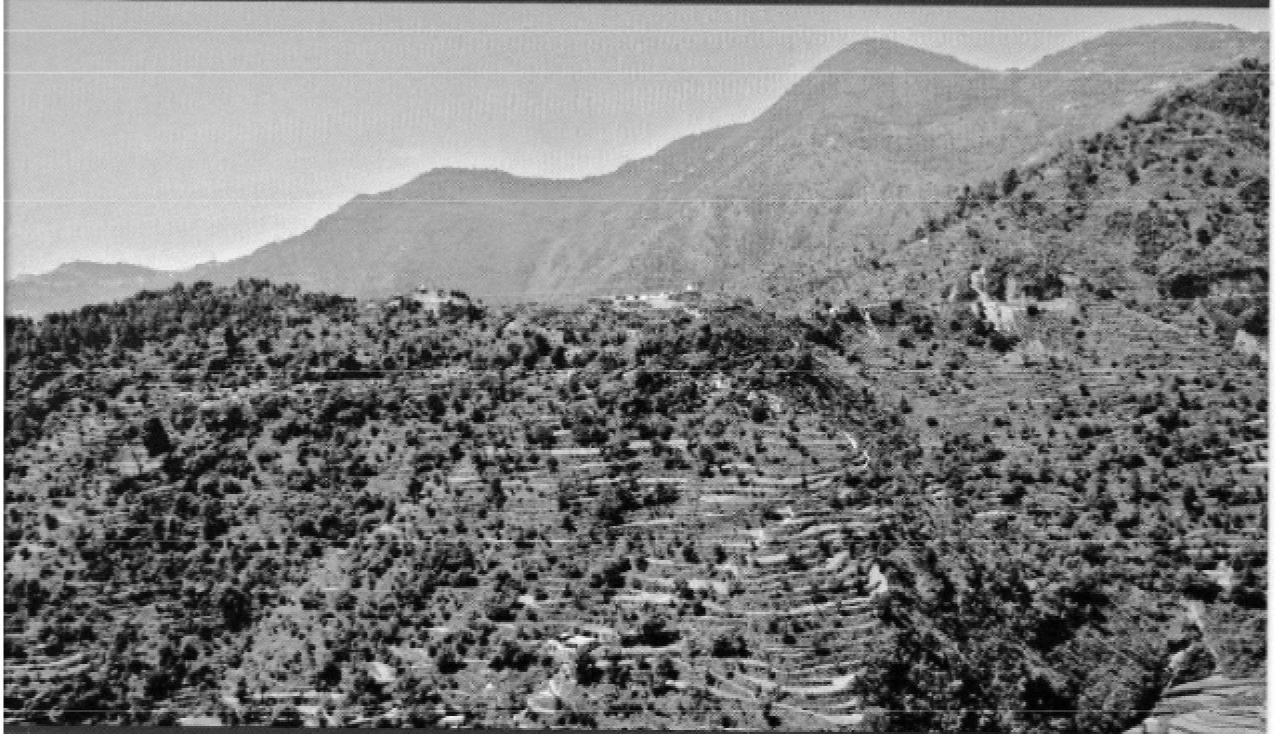

ग्राम्य विकास विभाग

उत्तराखण्ड शासन

त्रिवेन्द्र सिंह रावत

उत्तराखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड सरकार

सन्देश

विधान सभा के मा० सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्रों में विकास कार्य सम्पादित किये जाने हेतु विधायक निधि का गठन वर्ष 2002 में किया गया था। तब से दिशा–निर्देशों के विभिन्न उपबन्धों को स्पष्ट करते हुए अनेक परिपत्र जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना के कार्यान्वयन में और सुधार लाने तथा विधायक निधि योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ अन्य उपबन्धों में संशोधन की जरूरत थी। फलस्वरूप ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत पूर्व में समय–समय पर जारी तद्विषयक आवश्यक संशोधनों/परिपत्रों को सम्मिलित करते हुए विधायक निधि योजना सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का पुनर्गठन किया गया है।

पुनर्गठित दिशा–निर्देशों में विधायक निधि योजनान्तर्गत जिला स्तर पर वित्तीय अनुशासन, कार्यों की मॉनीटरिंग तथा पंचायत, विकासखण्ड, जिला और राज्य स्तर पर कार्यों एवं दायित्वों का सुस्पष्ट निर्धारण किया गया है।

विधायक निधि मुख्यतः स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए है। इसमें मा० विधानसभा सदस्यों की अनुशंसाकर्ता की भूमिका है तथा जिला स्तरीय अधिकारी योजना कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य राज्य सरकार के प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी नियमों के अनुसार किये जाते हैं।

विधायक निधि के अन्तर्गत पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के उपरान्त जारी किए गये संशोधनों/परिपत्रों को भी इस नवीनतम जारी दिशा–निर्देशों में सम्मिलित किया गया है। इससे विधायक निधि अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन में एक ओर जहाँ सुगमता होगी, वहीं विकास कार्यों की गति में तेजी लाने के साथ–साथ संतुलित एवं आवश्यकतानुसार विकास के उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

मुझे आशा है कि विधायक निधि सम्बन्धी पुनर्गठित दिशा–निर्देश योजना के बेहतर और समयबद्ध कार्यान्वयन में सहायक होंगे।

(त्रिवेन्द्र सिंह रावत)

मनीषा पंवार
(भा.प्र.से.)

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन

सन्देश

विधान सभा के प्रत्येक मा० सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में लोक कल्याण सम्बन्धी विकासात्मक कार्यों को सम्पादित किये जाने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित विकास के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2002 में विधायक निधि का गठन करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये थे।

समय की मांग तथा स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी होते रहे। वर्तमान में अन्य सम–सामयिक विषयों/कार्यों को सम्मिलित करने एवं विधायक निधि सम्बन्धी समग्र व्यावहारिक दिशा–निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एकीकृत परिपत्र (Master Circular) जारी किये गये हैं जो निश्चित ही योजना के सफल क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे।

विधायक निधि के वर्तमान जारी दिशा–निर्देश सरल, स्पष्ट और आम जनमानस की समझ योग्य हैं। विधायक निधि के दिशा–निर्देशों में संशोधन में स्थानीय बुनियादी आवश्यकताओं एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है। योजना के नवीन दिशा–निर्देशों से जहाँ एक ओर योजना का क्रियान्वयन जनकल्याण हेतु एवं प्रभावी ढंग से हो सकेगा वहीं बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण एवं मानव विकास सुनिश्चित करने वाली व्यापक ग्राम्य विकास की अन्य योजनाओं को तैयार करने के कार्यों में भी सहायक होंगे।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह दिशा–निर्देश विधायक निधि योजना के समुचित कार्यान्वयन में प्रभावी सिद्ध होंगे।

(मनीषा पंवार)

डॉ० राम बिलास यादव
(भा.प्र.से.)

अपर सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

सन्देश

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2002 में प्रत्येक मा० विधान सभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों के समग्र एवं संतुलित विकास के उद्देश्य से विधायक निधि का गठन कर योजना के सफल संचालन हेतु तद्विषयक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

समय की मांग एवं अन्य आवश्यकताओं के दृष्टिगत विधायक निधि योजना के दिशा–निर्देशों में समय–समय पर यथावश्यक संशोधन किये जाते रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य में स्थानीय मूलभूत आवश्यकताओं, अधिकाधिक विकासपरक योजनाओं के संचालन, कार्यों के सरलीकरण तथा कार्यों में पारदर्शिता जैसे अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए समसामयिक विषयों/कार्यों को सम्मिलित करते हुए विधायक निधि सम्बन्धी एक समग्र व्यावहारिक दिशा–निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की गई जिसके क्रम में पुनर्गठित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इन दिशा–निर्देशों के प्रभावी होने से योजना का क्रियान्वयन और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा जिससे आम जनमानस को निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा।

(डॉ० राम विलास यादव)

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय
(भा.प्र.से.)

आयुक्त
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन

सन्देश

विधान सभा के मा० सदस्यों द्वारा समय–समय पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के निर्माण के उद्देश्य से की गई मांग के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2002 में विधायक निधि का गठन करते हुए तद्विषयक मार्गनिर्देश जारी किये गये थे।

समय–समय पर स्थानीय मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत, योजना के सफल कार्यान्वयन एवं लोकहित में विधायक निधि के मार्ग–निर्देशों में यथावश्यक संशोधन विषयक परिपत्र निर्गत किए गये हैं।

तद्विषयक जारी मार्ग–निर्देशों के सम्बन्ध में समय–समय पर बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त होते रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत, स्थानीय मूलभूत आवश्यकतानुसार और अधिक विकासपरक कार्यों के संचालन, कार्यों के सरलीकरण आदि को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी संशोधनों को एक साथ संकलित कर पुनर्गठित दिशा–निर्देश निर्गत किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।

पुनर्गठित मार्ग–निर्देशों में कुछ नये प्रावधानों का भी समावेश किया गया है जो निश्चित ही आम जनमानस के लिए इस योजना के अन्तर्गत लाभप्रद एवं कल्याणकारी साबित होंगे।

मुझे आशा है कि विधायक निधि सम्बन्धी नवीनतम दिशा–निर्देश योजना के बेहतर, समयानुसार और नियमबद्ध कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे।

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)

विधायक निधि योजना सम्बंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त

पृष्ठभूमि:-

विधान सभा के मा0 सदस्यों के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2002 में **''विधायक निधि योजना''** प्रारम्भ की गई तथा शासनादेश दिनांक 07.06.2002 से विधायक निधि का गठन कर योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त भी बनाये गये, उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विभिन्न माध्यमों से मांग एवं औचित्य के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधन भी होते रहे। वर्तमान में विधायक निधि की एक समग्र व्यावहारिक दिशा निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व के विधायक निधि सम्बंधी दिशा–निर्देशों को अवक्रमित करते हुए एकीकृत परिपत्र (Master Circular) के रूप में निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पुनर्गठित किया गया है:–

2. योजना की मुख्य विशेषताएं

2.1 प्रत्येक विधान सभा के मा0 सदस्य, अनुभव की जा रही स्थानीय आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को निर्माण कार्यों का विवरण देंगे एवं मुख्य विकास अधिकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए उसे कार्यान्वित करायेंगे।

2.2 जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध हैं, कार्यों का कार्यान्वयन विधान सभा के मा0 सदस्यों के सुझाव के अनुसार नगर निगमों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा करवाया जा सकता है। कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसी सरकारी या पंचायतीराज संस्थायें होंगी, जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी निर्माण कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के योग्य समझते हों। विधायक निधि के कार्यों के लिए निजी ठेकदारों को लगाया जा सकता है, लेकिन इस हेतु निजी ठेकेदारों के चरित्र/सत्यनिष्ठा आदि के सम्बन्ध में सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा लिखित अनुमोदन दिये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जायेगा।

2.3 कार्यो के निष्पादन के लिए उन प्रभागों को लगाया जा सकता है, जो प्रभाग आवश्यक रूप से मात्र निर्माण कार्य ही नहीं देखते बल्कि जो निर्माण कार्यों के लिए सक्षम भी है। मुख्य विकास अधिकारी उस अभिकरण को अभिज्ञापित करेंगे, जिसके माध्यम से विधान सभा के मा0 सदस्यों द्वारा संस्तुत कोई विशेष कार्य निष्पादित किया जाना है।

2.4 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे एवं इस हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी धनराशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिये नहीं किया जायेगा। इस निधि का उपयोग सेवा सम्बन्धी अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था/प्रयोजनों के लिए किया जा

सकता है लेकिन इनमें उपर्युक्त सुविधाओं के रख–रखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्ती व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2.5 इस योजना से सम्बन्धित धनराशि का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जा सकता है; परन्तु ऐसा केवल उसी दशा में किया जाय जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो। इस प्रस्तर के अधीन जहां किसी परियोजना का आंशिक व्यय इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो, परियोजना का वह भाग सुस्पष्ट रूप से पहचान हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

2.6 योजनान्तर्गत किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है। यह भी प्रयास हो कि इस निधि से प्रस्तावित कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय, परन्तु कभी–कभी कार्यो की प्रकृति के अनुसार उसके निष्पादन में एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है, उन परिस्थितियों में इस योजनान्तर्गत निष्पादन अभिकरणों को कार्य के निष्पादन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए धनराशि अग्रिम रूप से अथवा एक से अधिक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है।

2.7 विधायक निधि से आवंटित की जाने वाली धनराशि में से 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु व्यय किये जाने तथा किसी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग यदि निवास नहीं करते हैं तो अनुसूचित जाति के अंश को अनुसूचित जनजाति तथा यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नहीं करते है तो अनुसूचित जनजाति के अंश को अनुसूचित जाति के लोगों के विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा।

2.8 इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिए कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिर्वायतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गयी भूमि भी हो सकती है। केवल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस संस्था या व्यक्ति द्वारा भूमि अभ्यर्पित की गई है, उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वाधिकार होना चाहिए। जिला प्राधिकारियों को यथाशीघ्र यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पण नियमों के अन्तर्गत हो, जिस अभ्यर्पित/स्थानान्तरित भूमि का अभ्यर्पण किया गया हो उसे "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के अनुसार भूमि अभ्यर्पण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति को तब तक पर्याप्त समझा जायेगा, जब तक अभ्यर्पण कानूनी वैधता प्राप्त न कर लें। साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए ही उपलब्ध होगी, जिसके लिए निर्माण किया गया हो।

2.9 मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख–रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्व अभिकरण द्वारा किया जाय।

2.10 विधान सभा के मा0 सदस्य द्वारा चयनित कार्य एवं स्थान को मा0 सदस्य की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

3. कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन

3.1 कार्यों को अभिज्ञापित करने उनका चयन करने तथा उन्हें स्वीकृति देने से पहले मुख्य विकास अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सम्बन्धित मा0 सदस्य की सहमति प्राप्त करें। यदि निर्माण कार्यों को करवाये जाने के लिए कोई तकनीकी कारण जैसे चयनित भूमि का अनुकूल न होना आदि, बाधक न हों तो सामान्यतः विधान सभा के मा0 सदस्यों के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिन मामलों में मुख्य विकास अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि मा0 सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्य–निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है, उनके सम्बन्ध में वे कारणों का उल्लेख करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट, सम्बंधित मा0 सदस्यों को भेजेंगे तथा उनकी एक–एक प्रति शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को भी सूचनार्थ भेजेंगे।

3.2 जहां तक सम्भव हो सके वहां तक सभी निर्माण कार्यों को सम्बन्धित मा0 सदस्यों को उनका प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

3.3 जहां तक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रकिया / शासनादेशों के आधार पर जिला स्तर पर ही निर्णय लिया जाना है। यदि आवश्यकता पड़े तो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्णय लेने का अधिकार जिलों के तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य निर्वाहकों को प्रत्यायोजित कर देना चाहिए।

3.4 चूंकि इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और आवास निगम आदि प्रदेश सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जायेगा। अतः सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु समन्वय, अनुश्रवण और उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे, उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरण, प्रबन्धन सम्बन्धी आरम्भिक कार्यों, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण आदि से सम्बन्धित अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह का सेंटेज चार्जेज आदि नहीं लेंगे।

3.5 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग, जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी अभिकरणों को सामान्य निर्देश जारी करेंगे, कि वे मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत उन्हें अग्रसारित किये गये निर्माण कार्यों में सहयोग और सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित करायें, ऐसे निर्देशों की प्रतियां मा0 सदस्य विधान सभा को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

3.6 इस योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर सामान्य, वित्तीय और लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाएं इस मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं वित्तीय नियमों आदि को ध्यान में रखते हुए लागू होगी।

3.7 इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुमन्य धनराशि का आवंटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 विधान सभा सदस्य परिवर्तित होते हैं और ऐसे परिवर्तन का कारण चाहें कुछ भी हों, चूंकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरन्तर जारी रखी जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी इस सम्बन्ध में पूर्व और वर्तमान मा0 विधान सभा सदस्यों तथा सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेंगे।

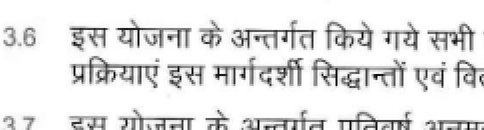

3.8 जब कभी मा0 विधान सभा सदस्य किसी भी कारण परिवर्तित होंगे, कार्यों के क्रियान्वयन में यथा सम्भव निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाये जायेंगेः–

(क) यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा चयनित / संस्तुत / अभिज्ञापित कोई कार्य निर्माणाधीन है, तो उसे पूरा किया जायेगा।

(ख) यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा चयनित / संस्तुत / अभिज्ञापित कोई कार्य सूचना प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन से अधिक बीत जाने पर भी किसी औचित्यपूर्ण कारणों से लम्बित पड़ा हो तो उसका भी निष्पादन किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि वह यथोचित मापदण्डों के अनुरूप हो एवं लम्बित रहने के कारणों को अभिलिखित करते हुए ग्राम्य विकास विभाग के संज्ञान में लाया जायेगा।

(ग) यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य किसी कार्य को चयनित / संस्तुत / अभिज्ञापित कर चुके हो परन्तु इससे पहले के उप–प्रस्तरों में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसका निष्पादन शुरू नहीं किया गया हो तो उसे पूरा करवाया जा सकेगा, यदि उत्तरवर्ती मा0 विधान सभा सदस्य उनका अनुमोदन करें, परन्तु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किसी कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति को वास्तव में कार्य को प्रारम्भ करना माना जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान अवश्य रखा जाये कि कार्यारम्भ वास्तविक रूप से धरातल पर दिखना चाहिये। मुख्य विकास अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कार्य की श्रेणी, प्रकृति एवं स्थान में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. धनराशि की अवमुक्तिः-

4.1 मा0 विधान सभा सदस्यों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पच्चीस लाख रूपये की लागत वाले कार्यों के प्रस्ताव रखे जायेंगें।

4.2 विधायक निधि के अधीन बिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात विभागीय पद्धति (मस्टरौल) / कार्यादेश (work order) के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) रहेगी।

4.3 विधायक निधि से अन्तरित की जाने वाली धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगीः–

प्रथम त्रैमास में	35 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास में	15 प्रतिशत
तृतीय त्रैंमास में	35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास में	15 प्रतिशत

यह धनराशि जिलाधिकारी के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और सम्पन्न कराये गये कार्य के वास्तविक व्यय के सापेक्ष उसी सीमा तक अथवा त्रैमास की सीमा जो भी कम हो, पी0एल0ए0 से आहरित की जायेगी। पी0एल0ए0 में रखी जाने वाली धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में होगा। विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का ऑडिट उसी वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के दो माह (अप्रैल, मई) के अन्दर ही किया जायेगा।

4.4 यदि सम्बन्धित मा0 सदस्य विधान सभा, विधायक निधि का उपयोग करने में रूचि नहीं रखते हैं तो वह ग्राम्य विकास विभाग को सूचित करेंगे, जिससे कि निधि के उपयोग के सम्बंध में अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके।

4.5 धनराशि को अवमुक्त करते समय ग्राम्य विकास विभाग सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों से परामर्श करके निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कराने के लिए अपेक्षित धनराशि का आंकलन करेगा एवं निर्माणाधीन कार्यों की लागत की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एकमुश्त तथा शीघ्रतिशीघ्र अवमुक्त की जायेगी। कार्यों की प्रकृति के आधार पर धनराशि की आवश्यकता पहले पूरी की जायेगी और तब नये निर्माण कार्यों के लिए आवंटन पर विचार किया जायेगा।

4.6 विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुनः विधायक निधि में ही प्रत्यावर्तित (वापस) की जायेगी।

4.7 विधायक निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि अन्य योजनाओं की भांति वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत (Lapse) नहीं होगी अर्थात इसे अग्रेनीत किया जा सकेगा।

4.8 विधायक निधि योजना अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्येक दशा में राजकोष में जमा किया जाना होगा।

5. अनुश्रवण व्यवस्था:-

5.1 चूकिं इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के कियान्वयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, अतः मुख्य विकास अधिकारी इन कार्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण स्वयं करेगें तथा इसी प्रकार इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रकिया एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है। इसी तरह उप–क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों द्वारा भी निर्माण कार्यों के स्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का निरीक्षण/अनुश्रवण भी करना होगा। ऐसे दौरे और अनुश्रवण अधिक से अधिक लाभप्रद हो, इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को चाहिए कि वे इसमें माननीय विधान सभा सदस्यों को भी शामिल करें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार उपर्युक्त निरीक्षण/अनुश्रवण की रिपोर्ट मा0 सदस्य विधान सभा और ग्राम्य विकास विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कार्यों के निरीक्षण हेतु सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अधिकारी/कर्मचारी के लिए पर्यवेक्षण/क्षेत्रीय निरीक्षण/सत्यापन हेतु न्यूनतम संख्या निर्धारित हो। शासन स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी मुख्य विकास अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट के सत्यापन हेतु समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा।

5.2 ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्येक स्तर योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की एक पूर्ण एवं अद्यतन स्थिति की सूचना सदैव रखेगा। प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में निर्माण कार्यों की अद्यतन सूचना रहेगी, जिसे संकलित कर प्रतिमाह सॉटकॉपी (ई–मेल) एवं हार्डकॉपी पर शासन एवं आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक वर्ष में किये गये निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) की सूचना कार्यदायी संस्था/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयुक्त/शासन को प्रतिमाह 07 तारीख से पूर्व उपलब्ध कराई जायेगी।

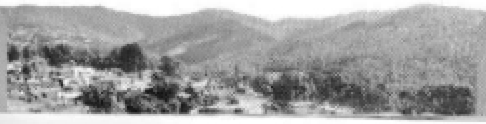

5.3 विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुश्रवण व्यवस्था हेतु MIS एवं Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। विधायक निधि के अन्तर्गत Geotagging हेतु सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों को उक्त कार्य किये जाने हेतु अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5.4 इस योजना से सम्बन्धित निरीक्षण/अनुश्रवण प्रपत्र तथा अन्य बिन्दु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

5.5 मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति मा0 विधान सभा सदस्यों को भी भेजी जायेंगी।

5.6 इस योजना के कार्यान्वयन में निरन्तर सुधार लाने के लिये ग्राम्य विकास विभाग समूहों में मुख्य विकास अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगें। जिसमें विधान सभा सदस्यों को शामिल कर उनसे संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा।

5.7 योजनान्तर्गत किये गये समस्त कार्यों का सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. सामान्यः-

6.1 स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कि कार्य विशेष मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा विधायक निधि से करवाया गया है, मा0 विधानसभा सदस्य के विधायक निधि योजना का निर्माण कार्य लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्यस्थल पर लगवाया जायेगा।

6.2 कभी किसी भी कारणवश मा0 विधान सभा सदस्य परिवर्तित हैं और पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा कोई भी कार्य चयनित/संस्तुत/अभिज्ञापित नहीं किया गया हो तो उन पूर्ववर्ती मा0 विधानसभा सदस्य के सम्बन्ध में आवंटित अथवा अवमोचित राशि उनके उत्तरवर्ती मा0 विधान सभा सदस्य को उस वर्ष के लिए आवंटित धनराशि से अतिरिक्त उपलब्ध नहीं होगी।

6.3 निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान मा0 विधान सभा सदस्यों को किसी ऐसी समस्या/स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका उल्लेख इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में नहीं किया गया है, तो ऐसे मामले शासन के निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

6.4 मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में विधायक निधि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु सम्बन्धित विद्यालय की कार्यकारिणी को इस प्रतिबन्ध के अधीन अधिकृत किया जाता है कि कार्य का आगणन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र किसी सक्षम स्तर के अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6.5 विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों के साथ–साथ, विधायक निधि में लिए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बढ़ाते हुए, सांसद निधि के दिशा निर्देशों में दी गई सूची के अनुसार भी यथासम्भव नियमानुसार कार्य कराये जा सकेंगे।

6.6 सांसद निधि के अन्तर्गत अनुमन्य/गैर अनुमन्य कार्य एवं समय–समय पर उनके सम्बंध में संशोधन भी विधायक निधि के अन्तर्गत स्वतः आच्छादित/अनुमन्य होंगे।

6.7 स्थाई परिसम्पत्तियां जो विधायक निधि से निर्मित हैं, के रख रखाव के लिए मा0 विधायक गणों को एक वित्तीय वर्ष में अनुमन्य विधायक निधि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक की धनराशि

व्यय करने का प्राविधान किया जा सकता है, जिसे मा0 विधायक गणों के प्रस्ताव पर सम्पादित किया जायेगा, परन्तु Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

7. प्रशासनिक व्ययः-

7.1 विधायक निधि के सफल कियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सामाजिक सम्प्रेक्षण हेतु नोडल विभाग, नोडल जनपद एवं कार्यान्वयन जनपद द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु विधायक निधि की धनराशि का 2% वार्षिक व्यय किया जायेगा।

8. अनुमन्य कार्यः-

8.1 विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्थाओं के अन्य भवनों का निर्माण जो राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हो, ऐसे भवन मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों, तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।

8.2 गांवों, कस्बों अथवा नगरों के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण अथवा ऐसे अन्य निर्माण का निष्पादन जो इस दृष्टि से सहायक हो, करायें जा सकेंगे।

8.3 योजनान्तर्गत गांवों, कस्बों तथा नगरों के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़कें, पार्ट–सड़कें, सम्पर्क सड़कें/लिंक सड़कें, खड़ंजा मार्ग, कच्चे मार्गों का निर्माण तथा इनसे सम्बंधित पुलियाओं/पुलों, नालियों के निर्माण/मरम्मत, सड़क का चौड़ीकरण/ समतलीकरण/ मरम्मत के कार्य करवाये जा सकते है, जिनकी स्थानीय लोगों द्वारा अनुभव की जा रही जरूरत पूरी करने के लिए सम्बन्धित मा० सदस्य सहमत हों।

8.4 वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रम गृहों का निर्माण भी कराया जा सकता है।

8.5 मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेल–कूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेल–कूद सम्बन्धी गतिविधियों अथवा अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण, व्यायाम केन्द्रों, खेल–कूद संघों, शारीरिक शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम फेसिलिटीज) उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सकती है।

(स्पष्टीकरण) विधायक विकास निधि के उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार सांस्कृतिक तथा खेल सामग्री हेतु युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को सांस्कृतिक/खेल सामग्री की स्वीकृति जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकती है कि उक्त सामग्री का क्रय वे उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों के अनुसार करेंगे तथा क्रय के उपरान्त सम्बन्धित महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

8.6 सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण, जिसमें नलकूपों की नालियां तथा नहरों पर पुलियों/पुल का निर्माण भी सम्मिलित है, का कार्य कराया जा सकता है।

8.7 सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.8 सार्वजनिक शवदाह/शमशान भूमि पर शवदाह गृहों और ढांचों, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, सेमेन्ट्री का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.9 सार्वजनिक शौचालयों और स्नानघरों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.10 सार्वजनिक नाले और गटरका निर्माण कराया जा सकेगा।

8.11 सार्वजनिक पैदल पथ, पगडंडियों और पैदल पुलों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.12 शहरों, कस्बों तथा गांवों की गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से बिजली, पानी, पगडंडियों, शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा उक्त श्रेणी के कारीगरों हेतु कार्यशाला शेडों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.13 आदिवासी क्षेत्रों में शासकीय आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.14 सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के बस पड़ाव/शेडों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.15 राजकीय पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.16 सरकारी अस्पतालों की एक्स–रे मशीन, एम्बुलेन्स जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपकरणों की खरीद करना तथा सरकार/पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते–फिरते दवाखानों की व्यवस्था विधायक निधि से की जा सकेगी।

8.17 सार्वजनिक उपयोग के भवन, बारात घर, चौपाल/रैनबसेरे का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.18 सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिये गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणाली/साधनों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.19 सार्वजनिक उपयोग की इलैक्ट्रॉनिकी परियोजनायें जैसे सूचना फुटपाथ, उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटरीकरण, सिटीजन बैण्ड रेडियो, गंथ्र सूची/डाटा बेस परियोजना आदि विधायक निधि के अन्तर्गत अनुमन्य होगें।

8.20 मा० विधायक की संस्तुति पर शासकीय एवं अशासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए साज–सज्जा एवं फर्नीचर क्रय तथा कम्प्यूटर के साथ कम्प्यूटर का फर्नीचर क्रय किया जा सकेगा।

8.21 मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों में हैल्थ क्लब की सुविधा अनुमन्य करायी जा सकती है।

8.22 मान्यता प्राप्त संघों के शिक्षक भवन का निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

8.23 राजकीय्र पशु चिकित्सालयों के लिए पशु एम्बुलेन्स हेतु धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी।

8.24 ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को यदि युवा कल्याण विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थानों से गत पांच वर्षों में कोई धनराशि उपलब्ध न करायी गई हो तो उन्हें खेलकूद एवं सांस्कृतिक क्रिया–कलापों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधायक निधि से निम्न प्रतिबंधों के अधीन उपलब्ध करायी जा सकेगी–

क. प्रोत्साहन राशि एक महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को पांच वर्ष की अवधि में मात्र एक बार ही अनुमन्य होगी तथा इस प्रयोजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में विधायक निधि से कुल रू0 40.00 लाख से अनधिक धनराशि ही अनुमन्य कराई जा सकेगी।

ख. मान्यता प्राप्त ऐसे महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों जिनका ग्रामीण क्षेत्र में रचनात्मक एवं विकास कार्यों में कम से कम 03 वर्ष से योगदान रहा हो, उन्हें

उपकरण/फर्नीचर/दरी आदि क्रय करने के लिये विधायक निधि से अधिकतम 1.00 लाख तक की धनराशि दी जा सकेगी, जो इस हेतु अनुमन्य सीमा–अन्तर्गत रहेगी।

ग. विधायक निधि से उपलब्ध करायी गयी धनराशि उसी कार्य में व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन के लिये वह उपलब्ध करायी गयी है।

8.25 विधायक निधि के तहत मा० विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायक निधि के तहत छोटे–बड़े सांस्कृतिक/कृषि/पर्यटन मेलों के आयोजन हेतु अधिकतम रू0 20.00 लाख की धनराशि दी जा सकेगी।

8.26 राज्य के किसी भी क्षेत्र में बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, ओलावृष्टि, हिमस्खलन बादल फटना, कीट–हमला, भूस्खलन, तूफान, अनावृष्टि, आग लगना, रासायनिक, जैविक एवं रेडियोलॉजिकल खतरों जैसी आपदाओं के आने पर तथा राज्य सरकार द्वारा आपदा घोषित किए जाने पर किसी भी विधायक द्वारा उस क्षेत्र में राहत कार्यों के लिए विधायक निधि हेतु वार्षिक रूप से निर्धारित धनराशि में से 10 प्रतिशत वार्षिक की सीमा तक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों हेतु संस्तुत किए जाने पर व्यय किए जाने की अनुमति विधायक निधि के अन्तर्गत दी जा सकती है।

8.27 ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु, जो पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–478/VI/2006 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 से आच्छादित न हों, के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से रू0 25.00 लाख तक प्रतिवर्ष का व्यय किया जा सकता है।

8.28 किसी भी बड़ी नगर पालिका में प्रत्येक विधायक की प्रत्येक वर्ष की विधायक निधि की धनराशि में से अधिकतम रू0 50.00 लाख की धनराशि से एक पार्क की स्थापना/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा सकता है।

8.29 आबादी क्षेत्र के भवनों के ऊपर से गुजरने वाली विभिन्न विभव की विद्युत लाइनों को हटाये जाने में आने वाले कुल व्यय भार का 30 प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्र के मा० विधायक के विधायक निधि से व्यय किया जा सकता है।

8.30 स्मारक या स्मारक भवन के अन्तर्गत मात्र शहीद स्मारकों का निर्माण कराया जा सकता है।

8.31 प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों एवं स्थानीय निकायों हेतु बस क्रय की जा सकती है।

8.32 यदि कोई मा0 विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग हेतु आई0पी0 कैमरा (सी0सी0टी0वी0) व वाई–फाई सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं, तो विधायक निधि से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि इनकी स्थापना के उपरान्त इन पर होने वाला आवर्तक व्यय भी विधायक निधि मद से ही वहन किया जायेगा।

8.33 नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत विधायक निधि द्वारा अवस्थापना सुविधाओं हेतु सार्वजनिक कार्य यथा गलियां व मार्ग (सी0सी0/बिटुमिन), नाले एवं नालियां, पुलियाएं एवं नाला पार करने हेतु क्रासिंग, रिटेनिंग बॉल/पुश्ता, नदियों के किनारों पर कटाव से बचाव हेतु वायरक्रेट तथा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है।

8.34 नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत विधायक निधि द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु किसी भी प्रकार के उपकरण एवं सुविधाएं विधायक निधि में अनुमन्य होगी।

8.35 नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत सार्वजनिक मार्ग प्रकाश हेतु विद्युत पोल एल0ई0डी0/सी0एफ0एल0, फिक्सचर, सोडियम, अन्य उपकरण, वाहन/हाईड्रोलिक वाहन तथा हाई–मास्क लाईट विधायक निधि के अन्तर्गत अनुमन्य होगी।

8.36 नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश सम्बंधी देय विद्युत बिलों का भुगतान हेतु यद्यपि उक्त निकाय उत्तरदायी है, परन्तु इन निकायों के बोर्ड द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान, विधायक निधि से किये जाने का प्रस्ताव पारित करने की दशा में ही बिलों का भुगतान विधायक निधि से अनुमन्य होगा।

8.37 गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य समस्त कार्यों को विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा का विधायक निधि के साथ सामग्री अंश हेतु केन्द्राभिसरण किया जायेगा।

8.38 दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मा० विधायक अपनी वार्षिक विधायक निधि से अधिकतम रू0 10.00 लाख तक सिफारिश कर सकते हैं। इसका क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से करवाया जायेगा।

8.39 राज्य एवं स्थानीय स्व–शासन निकाय से सम्बन्धित अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, खेल, पेयजल एवं स्वच्छता के उद्देश्य से स्कूल बस/वैन, अर्थ मूवर आदि वाहनों की खरीद वित्तीय नियमों के अन्तर्गत की जा सकती है।

8.40 राज्य एवं स्थानीय स्व–शासन निकाय से सम्बन्धित स्कूलों, कॉलेजों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों का क्रय किया जा सकता है।

8.41 मौजूदा सार्वजनिक खराब हैंडपंप के स्थान पर नये बोर पंप लगाये जा सकते हैं।

8.42 सार्वजनिक मार्ग प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जा सकती है।

8.43 बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्थायी प्रतीक्षा कुर्सियों/बैंचों (ओवरहैड शेड सहित) की स्थापना की जा सकती है।

8.44 मान्यता प्राप्त स्कूलों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में छात्र/छात्राओं के हैन्डवॉश एंव पेयजल हेतु सामूहिक पेयजल सुविधा (common drinking water platform), नये शौचालयों का निर्माण, जल संयोजन, पुराने शौचालयों की मरम्मत, स्कूलों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में मरम्मत के कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण तथा इसे शौचालयों से जोड़ा जाना एवं व्यर्थ पड़े पानी को लिफ्ट कर निकासी का कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।

8.45 राष्ट्रीय (ग्रामीण/शहरी) आजीविका मिशन (NRLM/NULM) के स्वयं सहायता समूहों हेतु वर्कशेड का निर्माण किया जा सकता है।

8.46 सरकारी अस्पताल हेतु रेफ्रीजरेटर, ऑफिस कम्प्यूटर, आर०ओ० प्लान्ट, गोदरेज स्टील फर्नीचर का क्रय किया जा सकता है।

8.47 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण एवं एकल पेयजल योजना का निर्माण किया जा सकता है।

8.48 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु कलेक्शन सेन्टर के लिए शेड का निर्माण, ग्राम पंचायतों में कूड़ादान, सैनेटरी नैपकिन्स एवं डायपर्स के निस्तारण के लिए इन्सेनेरेटर, कॉम्पेक्टर, कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली, मैकेनिकल एरोबिक कम्पोस्टर सम्बन्धी कार्य अनुमन्य होगें।

8.49 योजनान्तर्गत शासकीय शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल एवं सार्वजनिक स्थल पर CCTV कैमरे स्थापित किये जा सकते हैं।

8.50 सरकारी भवनों तथा राज्य एवं स्थानीय स्वायत्त शासन से सम्बन्धित विद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों, सामुदायिक भवनों, जल निकायों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा–जल संचयन प्रणालियों (जल संग्रह एवं भूजल रिचार्जिंग दोनों के लिए) की स्थापना अनुमन्य होगी।

9. विविध:-

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत विद्यालयों में फर्नीचर हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि तथा स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालय फर्नीचर से संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. विधायक निधि के अन्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्य:-

10.1 केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संगठनों से सम्बन्धित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण।

10.2 वाणिज्यिक संगठनों, न्यासों, पंजीकृत सोसायटियों, निजी संस्थानों अथवा सहकारी संस्थानों से सम्बन्धित कार्य।

10.3 किसी भी टिकाऊ परिसम्पत्ति के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य।

10.4 स्मारक या स्मारक भवन (शहीद स्मारकों को छोड़कर)।

10.5 किसी भी प्रकार की वस्तु सामान की खरीद अथवा भण्डार (राजकीय शिक्षण संस्थानों एवं स्थानीय निकायों हेतु बस क्रय को छोड़कर)।

10.6 भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिग्रहीत भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राशि।

10.7 व्यक्तिगत लाभ की कोई भी योजना।

10.8 धार्मिक क्रियाकलापों से सम्बंधित कार्य (प्रस्तर 8.27 को छोड़कर)।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

प्रेषक,

संख्याः 97 / XI/18/56)38)2016

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड पौड़ी

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 24 जनवरी, 2018**

विषय : विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य धनराशि में प्रति विधायक रु० 1.00 करोड़ की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधायक निधि योजना के अन्तर्गत प्रति विधायक पूर्व से निर्धारित रु० 2.75 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि में रु० 1.00 करोड़ प्रति विधायक की वृद्धि करते हुए कुछ रु० 3.75 करोड़ प्रति विधायक / प्रति वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत (LAPSE) नहीं होगी तथा विधायक निधि की धनराशि की स्वीकृति / व्यय शासनादेश संख्या 2023 / XI/17/56(21) 2007TC-I दिनांक 05.12.2017 द्वारा विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 149 / वित्त–4 / 2018 दिनांक 23.01.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या /XI/18/56(38) 2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ए० एण्ड ई०, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी / मा० ग्राम्य विकास मंत्री जी।
3. मा० सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
12. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(डा० राम बिलास यादव)
अपर सचिव

संख्याः 160 /XI/19/56(68)2018

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग--2 देहरादून, दिनांकः 01 जुलाई, 2019

विषयः-- विधायक निधि योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यो में जी0एस0टी0 व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2937/कार्य0-7-2(01) विधायक निधि पत्रा0/2018-19/दिनांक 16.01.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयगत प्रस्ताव के कम में अवगत कराना है कि अन्य विभागों द्वारा जी0एस0टी0 का भुगतान उनके विभागीय बजट से ही किया जाता है, अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विधायक निधि योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु जी0एस0टी0 के भुगतान के लिए पृथक से व्यवस्था किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। अतः उक्त के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से ही जी0एस0टी0 का भुगतान किये जाने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

(36)

संख्या/224/XI/14/56(08)2013

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, पौडी।

ग्राम्य विकास अनुभाग। देहरादून, दिनांक 12 मई, 2014

विषय– विधायक निधि के अन्तर्गत पिछली विधानसभाओं की बचत/ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 3541/कार्य–7–2/16–वि.नि.पत्रा./2013–14 दिनांक 05 फरवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत पिछली विधानसभाओं की अवशेष धनराशि, जो अब व्यय की जानी सम्भव नहीं है, को नियमानुसार राजकोष में जमा किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधायक निधि के अन्तर्गत प्रश्नगत धनराशि निम्नांकित लेखाशीर्षकों में नियमानुसार जमा करने का कष्ट करें–

1. ब्याज से प्राप्त धनराशि–

लेखाशीर्षक–0049–ब्याज प्राप्ति–04–अन्य प्राप्तियां–800–अन्य प्राप्तियां 12–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां–01–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां।

2. ब्याज के अतिरिक्त शेष धनराशि–

लेखाशीर्षक–4000–विविध पूंजीगत प्राप्तियां–01–सिविल–800–अन्य प्राप्तियां।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्याः 1716 /XI/18/56(21)2007 TCI

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 16 जुलाई, 2018

विषयः– रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/2014 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का विधायक निधि योजनान्तर्गत व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCi दिनांक 05.12.2017 द्वारा निर्गत विधायक निधि मार्गनिर्देशिका के बिन्दु 9.1 में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है।

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि तथा स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालय फर्नीचर से संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

शासन के उक्त आदेश के उक्त बिन्दु को निम्नानुसार संशोधित करने का मुझे निदेश हुआ है :–

9.1 **रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, जल शोधक यंत्र (Water Purifier), फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Lab Equipment हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management), सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले के निर्माण हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना Solid and liquid waste management plan बनाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालयों में उक्त आधारभूत अवस्थापना सुविधायें संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।**

उक्त 10% की धनराशि का उपयोग केवल शासकीय विद्यालयों में ही किया जायेगा।

उक्त शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XI/18/56(२।)2007-TCI, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
3. मा0 सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

संख्या: 408 / XI / 19 / 56(21)2007TC-1

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 06 फरवरी, 2019

विषयः–विधायक निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्वान्त विषयक शासनादेश संख्या 2023 / दिनांक 05.12.2017 में संशोधन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2023 / XI / 17 / 56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 द्वारा विधायक निधि मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये है। शासन के आदेश संख्या 1716 / XI/18/56(21)2007 TCI दिनांक 16.07.2018 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बिन्दु 9.1 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है–

रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201 / 14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, जल शोधक यंत्र (Water Purifier), फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Lab Equipment हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management), सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले के निर्माण हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना Solid and liquid waste management plan बनाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालयों में उक्त आधारभूत अवस्थापना सुविधायें संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

उक्त 10% की धनराशि का उपयोग केवल शासकीय विद्यालयों में ही किया जायेगा।

2– **शासन के उक्त आदेशों के विषय में निम्न व्यवस्था किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :–**

रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201 / 14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, जल शोधक यंत्र (Water Purifier), फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Lab Equipment के अभाव को पूर्ण किया जाना है। यह कार्य विधायक निधि से अनुमन्य होंगे। **इस सम्बंध में 10% मात्राकरण की**

व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। इसी प्रकार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management), सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले के निर्माण सम्बंधी कार्य विधायक निधि से अनुमन्य होगें, जिस हेतु संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना Solid and liquid waste management plan बनाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। **इस सम्बंध में 15% मात्राकरण की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।** उक्त दोनों कार्य मूल शासनादेश संख्या 2023/दिनांक 05.12.2017 के अनुमन्य कार्यों की सूची में यथावत् रहेंगे।

शासन के उक्त आदेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 को तदनुसार संशोधित किया जाता है एवं शासनादेश संख्या 1716 /XI/18/56(21)2007 TCI दिनांक 16.07.2018 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XI/19/56(21)2007 TC-1, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
3. मा0 सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

संख्याः 160 /XI/19/56(68)2018

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग--2

देहरादून, दिनांकः 01 जुलाई, 2019

विषयः-- विधायक निधि योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यो में जी0एस0टी0 व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2937/कार्य0--7--2(01) विधायक निधि पत्रा0/2018--19/दिनांक 16.01.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयगत प्रस्ताव के कम में अवगत कराना है कि अन्य विभागों द्वारा जी0एस0टी0 का भुगतान उनके विभागीय बजट से ही किया जाता है, अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विधायक निधि योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु जी0एस0टी0 के भुगतान के लिए पृथक से व्यवस्था किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। अतः उक्त के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से ही जी0एस0टी0 का भुगतान किये जाने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

संख्या–1475 XI-2/21/56(35)2020

प्रेषक,

मनीषा पंवार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

2– मण्डलायुक्त,
कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल,
उत्तराखण्ड।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

विषयः विधायक निधि योजनान्तर्गत निर्धारित प्रशासनिक मद की धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संतुलित विकास के उद्देश्य से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने तथा जनसामान्य से जुड़े विभिन्न कार्यों की तात्कालिक मांगों की पूर्ति हेतु वर्ष 2002 में "विधायक निधि योजना" प्रारम्भ करते हुये शासनादेश संख्या–384/1/ग्रा.ग्रा.वि./वि0नि0/2002 दिनांक 07 जून, 2002 द्वारा योजना के कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये। उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय परिस्थिति के दृष्टिगत समय–समय पर यथावश्यक संशोधन भी किये जाते रहे हैं।

2– इसी क्रम में विधायक निधि योजना के दिशा–निर्देश के प्रस्तर–7 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रशासनिक मद की 2.0 प्रतिशत धनराशि का विभिन्न प्रयोजनों हेतु व्यय किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है–

7. प्रशासनिक व्ययः–

(1) विधायक निधि के सफल कियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सामाजिक सम्प्रेक्षण हेतु नोडल विभाग, नोडल जनपद एवं कार्यान्वयन जनपद द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु विधायक निधि की धनराशि का 2 प्रतिशत वार्षिक व्यय किया जायेगा। विधायक निधि के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु प्राविधानित 2.0 प्रतिशत धनराशि में से 0.4 प्रतिशत नोडल विभाग (आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड) तथा शेष 1.6 प्रतिशत नोडल जनपद एवं कार्यान्वयन जनपद (0.6 प्रतिशत जनपद तथा 1.0 प्रतिशत ब्लॉक स्तर पर) द्वारा निम्न प्रयोजनों हेतु व्यय की जायेगी–

I. तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण–वास्तविक लेखा परीक्षा तथा गुणवत्ता जांच।

II. राज्य स्तर/जनपद स्तर पर कार्यों की निगरानी।

III. प्रकाशन एवं अभिलेखीकरण

IV. कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय, वाहन का अनुरक्षण एवं ईंधन आदि पर व्यय, व्यावसायिक और विशेष सेवाओं एवं तकनीकी सेवाओं पर व्यय, किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व, विज्ञापन बिकी और विख्यापन व्यय, प्रशिक्षण व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर क्रय, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय एवं कार्यालय संचालन के हितार्थ तथा योजनाओं के सफल एवं समयान्तर्गत सम्पादन हेतु अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यय।

V. प्रबन्ध सूचना तंत्र का विकास, आंकड़ा प्रविष्टि सम्बन्धी कार्य करने, वेबसाईट का विकास एवं मरम्मत कार्य, आंकड़े अपलोड एवं अद्यतन करने इत्यादि के लिए सेवाओं/परामर्शको के किराये का भुगतान।

VI. योजनान्तर्गत आवश्यक सेवाओं/परामर्शकों की ऑउटसोर्स से व्यवस्था, उपकरणों एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था।

VII. सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC/ICT) सम्बन्धी गतिविधियां।

VIII. GIS/Geo Tagging की व्यवस्था।

क्रमशः....2

(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नियमित अधिष्ठान एवं इस योजना के कार्यों हेतु व्यय की जानें वाली धनराशि के पृथक्करण (Separation) की व्यवस्था करते हुए, योजनान्तर्गत नोडल विभाग (आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग) नोडल जनपद एवं क्रियान्वयन जनपद के तहत विभाग के अन्तर्गत राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यों का विशिष्ट (Specific) विभाजन किया जाएगा, जिससे कि विभिन्न स्तरों/स्रोतों के कार्यों के साथ दोहराव (Duplicacy) तथा अतिव्यापन (Overlaping) को रोका जा सके एवं धनराशि का अपव्यय न हो।

(3) विधायक निधि हेतु धनराशि निर्गत/अवमुक्त करते समय प्रशासनिक व्यय के लिए प्राविधानित प्रश्नगत 2 प्रतिशत धनराशि को समानुपातिक रूप से पृथक किया जायेगा तथा इसके व्यय का पृथक लेखांकन करते हुये मितव्ययिता एवं धनराशि के प्रभावी उपयोग की दृष्टि से व्यय के सघन अनुश्रवण/ऑडिट की व्यवस्था की जायेगी एवं व्यय की गई धनराशि का ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जायेगा।

परन्तुक, वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उससे पूर्व के वर्षों की जनपद स्तर पर अवशेष कन्टीजेन्सी की धनराशि का मात्र 01 प्रतिशत (0.2 प्रतिशत नोडल विभाग तथा शेष 0.8 प्रतिशत नोडल/कार्यान्वयन जनपद) ही उपर्युक्त बिन्दु संख्या(1) के उप प्रस्तर-I-VII में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु व्यय किया जायेगा तथा अवशेष 01 प्रतिशत कन्टीजेन्सी की धनराशि का व्यय विधायक निधि के दिशा-निर्देशानुसार किया जा सकेगा।

परन्तुक, जिन जनपदों द्वारा प्राविधानित कन्टीजेन्सी की धनराशि का व्यय कर लिया गया है, उक्त व्यय को समायोजित मान लिया जायेगा।

3- अतः उक्त के संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि योजना के दिशा-निर्देश के प्रस्तर-7 में निर्धारित प्रशासनिक मद की धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या-65/XXVII-4/2021 दिनांक 29.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। इस आशय के पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश/दिशा-निर्देश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. संयुक्त सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके अ.शा. पत्र संख्या-4/2/XXI/XXI/2021-सी.एक्स. दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के क्रम में सूचनार्थ।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
8. वैभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव

I/109853/2023

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2023

विषयः विधायक निधि योजनान्तर्गत दिशा–निर्देशों में संशोधन एवं योजनान्तर्गत प्रति विधायक निर्धारित धनराशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1716 दिनांक 08.10.2021 एवं 2660/कार्य–7–2(01)/विधा0निधि/2022–23 दिनांक 12 जनवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधायक निधि योजना के दिशा–निर्देश, 2018 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित करते हुए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित विधायक निधि की धनराशि के अतिरिक्त जी.एस.टी. की धनराशि अनुमन्य किये जाने के संबंध में भी दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अतः उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित योजना एवं शासनादेश में स्तम्भ–3 में अंकित वर्तमान दिशा–निर्देश/प्रावधान को स्तम्भ–4 में अंकित दिशा–निर्देश/प्रावधान से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

क्र. सं.	योजना का प्रस्तर/ उप प्रस्तर/ शासनादेश संख्या	वर्तमान प्रावधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
1	2	3	4
1.	प्रस्तर–8 अनुमन्य कार्य उप प्रस्तर– 8.24	ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को यदि युवा कल्याण विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थानों से गत पांच वर्षों में कोई धनराशि उपलब्ध न करायी गई हो तो, उन्हें खेलकूद एवं सांस्कृतिक	ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को यदि युवा कल्याण विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थानों से गत पांच वर्षों में कोई धनराशि उपलब्ध न करायी गई हो तो, उन्हें खेलकूद एवं

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 30/05/2023 10:45 AM

I/109853/2023

		क्रिया–कलापों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधायक निधि से निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध करायी जा सकेगी– क प्रोत्साहन राशि एक महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को पांच वर्ष की अवधि में मात्र एक बार ही अनुमन्य होगी तथा इस प्रयोजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में विधायक निधि से कुल रू0 40.00 लाख से अनधिक धनराशि ही अनमुन्य कराई जा सकेगी।	सांस्कृतिक क्रिया–कलापों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधायक निधि से निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध करायी जा सकेगी– क प्रोत्साहन राशि एक महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को पांच वर्ष की अवधि में मात्र एक बार ही अनुमन्य होगी तथा इस प्रयोजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में विधायक निधि से कुल रू0 50.00 लाख से अनधिक धनराशि अनमुन्य कराई जा सकेगी।
2.	**प्रस्तर–8 अनुमन्य कार्य उप प्रस्तर– 8.27**	ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण/पुनर्निर्माण/सुदृढ़कीरण हेतु, जो पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–478/VI/2006 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 से आच्छादित न हों, के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से **रू0 25.00 लाख** तक प्रतिवर्ष का व्यय किया जा सकता है।	ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण/पुनर्निर्माण/सुदृढ़कीरण हेतु, जो पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–478/VI/2006 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 से आच्छादित न हों, के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से **रू0 50.00 लाख** तक प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकता है।
3.	**शासनादेश संख्या–97 दिनांक 24 जनवरी, 2018 द्वारा निर्धारित**	विधायक निधि योजनान्तर्गत प्रति विधायक पूर्व से निर्धारित रू0 2.75 करोड़ प्रतिवर्ष की धनराशि में रू0 1.00 करोड़ प्रति विधायक की वृद्धि करते हुये कुल **रू0 3.75 करोड़** प्रति विधायक/प्रतिवर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है।	विधायक निधि योजनान्तर्गत प्रति विधायक पूर्व से निर्धारित रू0 3.75 करोड़ प्रतिवर्ष की धनराशि में रू0 1.25 करोड़ प्रति विधानसभा/प्रतिवर्ष की वृद्धि करते हुए, कुल **रू0 5.00 करोड़** (जी.एस.टी. को सम्मिलित करते हुए) प्रति विधायक/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3 – इस आशय के पूर्व में निर्गत सभी दिशा–निर्देश/शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। शेष दिशा–निर्देश/प्रावधान/शर्ते यथावत रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–I/109335/2023 दिनांक 24

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 30/05/2023 10:45 AM

I/109853/2023

मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Basava Venkata Rana Chandra Purushottam
Date: 25-03-2023 13:33:56
(डी0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक–तदैव।</u>
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0, महालेखाकार भवन, कोलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. समस्त मा0 सदस्यगण, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, मंत्रिपरिषद विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
13. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–04, उत्तराखण्ड शासन।
14. अनुभाग अधिकारी, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Anand Swaroop
Date: 29-03-2023 12:56:19

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 30/05/2023 10:45 AM